08/5/26

पत्रावली पेश/अवलोकित पत्रकार उपरान्त प्रार्थी पत्र प्राप्त हुआ है खारिज किया जाता है कि स्वत निर्णय हस्तक से लिया जा कर पत्रावली शामिल किया जावे। पत्रावली को दफ्तर [illegible] तरफ से बाद [illegible] पत्रावली रूल 115 के साथ दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (प्र0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
154/2024	22.07.2024	06.02.2026

बउनवान

1. धर्मवीर दत्तक पुत्र श्री ताराचन्द
2. सुखवीर
3. जगवीर पुत्रान श्री धूपसिंह जातियान जाट निवासीयान कालीपहाडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. हेतराम
2. जसराम पुत्रान श्री रामनारायण जातियान जाट निवासीयान कालीपहाडी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: अप्रार्थीगण

श्री रणवीर सिंह यादव –: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री विजयपाल सिंह शर्मा –: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थीगण की और से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमे मिन प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के प्रार्थना पत्र में मिन प्रार्थीगण ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगण का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि आराजी हाल ख० नं0 204/0.48 है0, 205/0.49 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.97 है0, वाके ग्राम कालीपहाडी तहसील मुण्डावर का 1/2 भाग एवं आराजी हाल ख0 नं0 40/0.10 है0, 161/0.39 है0, 164/0.25 है0, 254/0.16 है0, 965/331/0.20 है0, 964/331/0.22

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

है0, सालिम वाके ग्राम कालीपहाडी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो आराजी उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी।

4. यह है कि आराजी मुतनाजा सं0 2029 में बने ख० नं0 183 व 184 साबिक ख0 नं0 122 से ख0 नं0 33 साबिक ख0 नं0 59 से ख0 नं0 144 साबिक ख0 नं0 99 से ख0 नं0 147 साबिक ख0 नं0 103 से ख0 नं0 230 साबिक ख० नं0 103 का 10 बिस्वा व साबिक 107 का 2 बिस्वा से एवं ख० नं0 298 साबिक ख० नं0 267 का 16 बिस्वा एवं साबिक 268 का 18 बिस्वा से पैमूद हुये है।

5. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खानदानी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को आराजी अपने पूर्वजो से जरिये विरासत प्राप्त हुयी है। आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो के कब्जे काश्त की आराजी रही है। जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सम्भाग में काश्त कर रहे है, और साबिक राजस्व रिकोर्ड में साबिक खसरा नम्बर के साथ अन्य खसरा नम्बर भी जमाबन्दी में अंकित रहे है। एवं अन्य काश्तकार भी रिकोर्ड में दर्ज रहे है। परन्तू समय अनुसार काश्तकार अलग अलग काश्त करते रहे और खसरा नम्बर भी अलग अलग होते गये केवल उपरोक्त खसरा नम्बर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो के हिस्से में आये और उपरोक्त खसरा नम्बर प्रार्थीगण के पूर्वज व अप्रार्थीगण के पूर्वज सामलात में काबिज होकर काश्त कार्य करते रहे हैं। सजरा खानदान इस प्रकार है।

रामस्वरूप

बुधा — रामनारायण — हरफुल
लावल्द फौत

रामनारायण

हेतराम — जसराम

हरफूल

तारा फौत — धूपा फौत
दत्तक धर्मवीर

सुखवीर — धर्मवीर — जगवीर
गोद गया

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

6. यह है कि आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण आज भी मौके पर बहिस्सा बराबर अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है, आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की बहिस्से बराबर कब्जे काश्त की है, और साबिक राजस्व रिकोर्ड प्रार्थीगण के पूर्वज व अप्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता का भाई बुधा लावल्द लावारिस फौत हो गया है। इसलिये रामसहाय के पुत्र बुधा के हिस्से की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को हिस्सेनुसार 1/2, 1/2 भाग प्राप्त हुआ है।
7. यह है कि आराजी विवादित में प्रार्थीगण का 1/2 भाग व अप्रार्थीगण का 1/2 भाग कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। साबिक राजस्व रिकोर्ड सं0 1995– 2003, 2008 से 2011 एवं कुछ खसरा की जमाबन्दी में सं0 2012 से 2015 तक प्रार्थीगण के पिता का नाम रहा है। परन्तू सं0 2023 की जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता तारा व धूपा का नाम कलमजन कर दिया गया। प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकोर्ड से बिना किसी आदेश के व खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून हजफ किया गया है। जबकि मौके पर आज भी प्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण की खानदानी आराजी होने से अप्रार्थीगण राजस्व रिकोर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज का लाभ नहीं उठा सकते है। राजस्व रिकोर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर कोई भी व्यक्ति कोई राईट व टाईटल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड में खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज किया गया है।
8. यह है कि आराजी मुतनाजा में से साबिक ख० नं० 122 पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अर्सा दराज से काबिज काश्तकार रहे है, और उक्त ख० नं० 122 का मालिक तुलसा पुत्र गोपाल रहे है। उक्त ख० नं० साबिक 122 सन् 1938 में खरीद लिया था उक्त खरीद के आधार पर इंतकाल सं० 37 बुधा, रामनारायण, हरफूल पुत्र रामसहाय के नाम बहिस्से बराबर दर्ज व मंजूर दिनांक 07/02/1938 को हुआ है। एवं इसी प्रकार अन्य खसरा नम्बरान भी सामलाती कब्जे काश्त में बहिस्से बराबर कब्जे काश्त एवं खातेदारी के रहे है। इसी प्रकार साबिक राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज भी रहे है। परन्तु सं0 2023 में यकायक किसी उचित कारण के बिना किसी सक्षम अधिकारी या अदालत के आदेश के खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून प्रार्थीगण के पिता तारा व धूपा के नाम कलमजन कर दिये जो हर सूरत में नाकाबिल पाबंदी है। प्रार्थीगण वर्तमान रिकोर्ड से कतई पाबंद नहीं है। वर्तमान राजस्व रिकोर्ड हर सूरत में काबिल दुरुस्ती है। आराजी मुतनाजा में प्रार्थीगण अपने हिस्सेनुसार खातेदारी की घोषणा कराने को मुश्तहक है।

सहायक कलक्टर (का0प्र0)
मुण्डावर (खैरथल तिजारा)

9. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की खानदानी आराजी है। साबिक राजस्व रिकोर्ड बुधा, रामनारायण, हरफूल पुत्रान रामसहाय के नाम इन्द्राज हो रहे है। बुधा लावल्द लावारिस फौत होने के कारण बुधा मृतक का हिस्सा प्रार्थीगण के पिता हरफूल व अप्रार्थीगण के पिता रामनारायण में समाहित हो गया है। तारा भी लावल्द फौत हुआ है, तारा पुत्र हरफूल ने फौतगी से पूर्व धर्मवीर प्रार्थी सं० 1 को गोद ले लिया था तब से प्रार्थी सं० 1 तारा पुत्र हरफूल के घर पर रहकर तारा की सेवा टहल की है, और तारा ने ही प्रार्थी का पालन पोषण किया है, और तारा के हिस्से पर काबिज एवं दखिल है। परन्तू प्रार्थना पत्र में राजस्व कर्मचारियो ने प्रार्थीगण के नाम हजफ गैरकानूनी रूप से कर दिये है, इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार डिकी किया जावे कि आराजी मुतनाजा में प्रार्थी सं० 1 को 1/4 भाग, प्रार्थी सं० 2 व 3 को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इस हद तक अप्रार्थीगण के नाम कलमजन किया जाकर प्रार्थीगण के नाम का अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

10. यह है कि दिनांक 24/05/2021 को केडिट कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो जानकारी मिली की उक्त खसरा नम्बर प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं है, इस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से बात की तो अप्रार्थीगण बात को टाल बाल करने लगे और कहा कि राजस्व रिकोर्ड हमने नहीं बनाया जैसे गलत हुआ उसी तरीके से आप दुरूस्त कराले हमें अब तक खुद को भी नहीं पता था कि सालिम आराजी हमारे नाम है, नहीं तो हम तुम्हे काश्त भी नहीं करने देते। अब उक्त आराजी को हम काश्त करेगें अन्यथा इसका बेचान कर देगें इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये हु० ई० दवामी से पाबंद किया जावे कि आराजी मुतनाजा को कहीं रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करे।

11. यह है कि मिन प्रार्थीगण के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है, अपने अधिकारो की रक्षार्थ हेतू प्रार्थना पत्र इश्तकरारहक दुरूस्ती पेश करना लाजिम आया है।

12. यह है कि दिनांक 24/05/2021 को केडिट कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो जानकारी मिली की उक्त खसरा नम्बर प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं है, इस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से बात की तो अप्रार्थीगण बात को टाल बाल करने लगे और कहा कि राजस्व रिकोर्ड हमने नहीं बनाया जैसे गलत हुआ उसी तरीके से आप दुरूस्त कराले हमें अब तक खुद को भी नहीं पता था कि सालिम आराजी हमारे नाम है, नहीं तो हम तुम्हे काश्त भी नहीं करने देते। अब उक्त आराजी को हम काश्त

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर ([illegible])

करेगें अन्यथा इसका बेचान कर देगें। इस पर प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र इसी अनुवान से पूर्व में अदालत हाजा में पेश किया था दौराने विचारण पक्षकारान में राजीनामा हो गया तो प्रार्थीगण ने अपना प्रार्थना पत्र बअनुवानी धर्मवीर बनाम हेतराम वगैराह व अप्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र बअनुवानी हेतराम बनाम धर्मवीर वगैराह नोटप्रेस में खारिज करा लिया था लेकिन अब उक्त राजीनामा से अप्रार्थी दिनांक 16/06/2024 को मुकर गये बस यही तारीक दिनांक 16/06/2024 बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र हु० ई० दवामी पेश करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि उक्त आराजी हाल ख० नं० 204/0.48 है0, 205/0.49 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.97 है0, वाके ग्राम काली पहाडी तहसील मुण्डावर का 1/2 भाग एवं आराजी हाल ख0 नं0 40/0.10 है0, 161/0.39 है0, 164/0.25 है0, 254/0.16 है0, 965/331/0.20 है0, 964/331/0.22 है0, सालिम वाके ग्राम कालीपहाडी तहसील मुण्डावर में अप्रार्थीगण कोई निर्माण कार्य नहीं करे ना मिन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करे, आराजी को को खुर्द बुर्द ना करे, विशीष्ठ भू भाग को दीगर जगह रहन बैय ना करे ना कोई निर्माण करके कब्जा करे राजस्व रिकोर्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तथा अप्रार्थीगण सं० 3 व 4 को पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी से संबंधित कोई दस्तावेजात तस्दीक व पंजीबद्ध ना करे। हल्फनामा संलग्न है।

जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जि० नं0 1 उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र विस्तृत वाकेयात के साथ अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है, जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की आशा नहीं रखनी चाहिये।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जि० नं0 2 के समर्थन में प्रार्थीगण ने शपथ पत्र व जो दस्तावेज पेश किये है, जिसमें प्रार्थीगण का केस प्रायम फैसाई पूर्णतः आयद वो साबित नहीं होता है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 3 इस कदर सही है कि आराजी मुतनाजा वाके ग्राम कालीपहाडी तहसील मुण्डावर में स्थित है शेष पैरा गलत है अस्वीकार है। आराजी मुतनाजा किसी भी प्रकार से विवादित नहीं है। शेष जिम्मन गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र हर सूरत में काबिल खारिज है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर

4. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 4 गलत है स्वीकार नहीं है। जो गौर अदालत श्रीमान है। तथा साक्ष्य के समय से ही तय किया जा सकता है। प्रार्थीगण ने चालाकी से जिसमें स्वंय के खसरा नम्बर का प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थीगण को सम्पूर्ण सामलाती आराजीयात का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था। प्रार्थना पत्र हर सूरत में काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।
5. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 5 सही है स्वीकार है। सजरा सही पेश किया है। परन्तु प्रार्थीगण ने अप्रार्थीण की आराजी के जो खसरा नम्बर गलत दर्ज हो रहे है उनका हवाला नहीं दिया है जो प्रार्थीगण के नाम है। इसलिये प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।
6. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 6 इतना स्वीकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1/2, 1/2 भाग के काबिज काश्तकार है।
7. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 7 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने स्वंय के नाम दर्ज गलत आराजी का ही प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थी को सम्पूर्ण आराजी जिसमें अप्रार्थीगण भी सहखातेदार है को सामिल कर प्रार्थना पत्र पेश किया जाना चाहिये था। जिस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।
8. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 8 इतना स्वीकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की दादालायी की खानदानी कब्जे काश्त की सामलाती खातेदारी की आराजी है जिसमें समस्त आराजी दादालायी है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी का 1/2 हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण ने तथ्यों को छिपाते हुये दुर्भावना पूर्वक अदालत श्रीमान को गुमराह करते हुये चालाकी से कुछ नम्बरान का प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि दादालायी की समस्त आराजी का सभी नम्बरान का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मनसमझौते से सुविधाजनक सामलाती आराजी समस्त को काश्त कर रहे है। काश्त के अनुसार राजस्व कर्मचारियों ने अनेक नम्बरान अकेले प्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिये जो इस प्रकार है हाल ख0 नं0 129 रकबा 0.9300 है0, साबिक ख0 नं0 92 है हिस्सा 1/4, ख0 नं0 हाल 190, 191 क्रमशः 0.1500 हैक0, 0.1700 है, जिसके साबिक नं0 124 है रिकोर्ड में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का दर्ज है तथा खसरा नम्बर हाल 747, 748, 749, 750 रकबा 0.7100 है0, साबिक नं0 213 है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज है। ख0 नं0 हाल 102, 103, 104 रकबा 0.9300 है0, हिस्सा 1/2 साबिक नं0 70 है इन सभी खसरा नम्बरान में अप्रार्थीगण का समान हिस्सा है जिसका अंकन हाल जमाबन्दीयों में नहीं हो रहा है। समस्त दादालायी आराजी में से 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का तथा 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण का बनता है। प्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)
मुख्यालय (श्रीगंगानगर)

के नाम जो दादालायी की आराजी में ज्यादा हिस्सा दर्ज हो गया है को समायोजित कर प्रार्थीगण के हिस्से से कम करके प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को राजस्व रिकोर्ड में बराबर बराबर 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे इसी प्रकार राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त किया जावे। यदि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के हिस्से में से 1/2 हिस्सा लेना चाहते है तो उन्हे भी अपने नाम सम्पूर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण को देना होगा।

9. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 9 इतना स्वीकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बुजुर्ग की आराजी में बराबर हिस्सा है पूर्वजो के नाम रिकोर्ड में सही दर्ज हो रही है बुद्धा लावल्द फौत हो गया बुद्धा की आराजी का 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के व 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण को प्राप्त हुआ है सही है मौके पर मनसमझौते से कोई किसी नम्बर को जोत रहा है दूसरा पक्ष अन्य खसरा नम्बर को जोत रहा है समस्त आराजी सामलाती है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण को समस्त आराजी का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था जो खसरा नम्बरान प्रार्थीगण ने दादालायी की आराजी के अपने अकेले के नाम करा लिया इस तथ्य को छिपाते हुये प्रार्थना पत्र दुरूस्ती पेश किया है।
10. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 10 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र निहायत झूठे व आधारहीन तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी मिन अप्रार्थी को हु० ई० दवामी के किसी भी अनुतोष से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है।
11. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 11 कानूनी है।
12. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 12 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने दिनांक 24/05/2021 की कहानी मिथ्या व मनघंडत दर्ज की है प्रार्थी को दिनांक 16/06/2024 को कोई बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा नहीं होती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थीगण की ओर से विस्तृत बहस

प्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पूर्णतः विधि–सम्मत, तथ्यपरक एवं न्यायसंगत है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

1. प्रथमदृष्टया मामला पूर्णतः स्थापित

यह निर्विवाद तथ्य है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खानदानी एवं सामलाती खातेदारी आराजी है। स्वयं अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के पैरा सं. 6, 8 व 9 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि–प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों का 1/2–1/2 हिस्सा बनता है। आराजी का अब तक कोई विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। दोनों पक्ष वर्षों से मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। जब सहखातेदारी एवं कब्जा स्वयं अप्रार्थीगण द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, तब प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया अधिकार पूर्णतः सिद्ध हो जाता है।

2. राजस्व रिकॉर्ड में अवैध व मनमाना परिवर्तन

यह तथ्य भी रिकॉर्ड से प्रमाणित है कि–पूर्व की जमाबंदियों (1995–2003, 2008–2011, 2012–2015) में प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज रहे वर्ष 2023 की जमाबंदी में बिना किसी आदेश, बिना नोटिस एवं बिना सुनवाई प्रार्थीगण के पिता तारा व धूपा के नाम कलमजन कर दिये गये राजस्व रिकॉर्ड में इस प्रकार का परिवर्तन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि– राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज से किसी को स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं होता।

अतः प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला और अधिक सुदृढ़ हो जाता है।

3. दत्तक (गोद) का तथ्य विधि–सम्मत

प्रार्थी सं. 1 धर्मवीर को तारा पुत्र हरफूल द्वारा विधिवत गोद लिया गया, जिसका उल्लेख सजरा, कब्जा एवं व्यवहार से स्पष्ट है।

गोद के पश्चात प्रार्थी सं. 1– तारा के साथ रहा, उसकी सेवा व पालन–पोषण किया, तारा के हिस्से की आराजी पर काबिज रहा। राजस्व कर्मचारियों द्वारा इस तथ्य की पूर्णतः अनदेखी कर नाम हटाना गैरकानूनी व शून्य है।

4. सुविधा का संतुलन पूर्णतः प्रार्थीगण के पक्ष में

प्रार्थीगण वर्षों से मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। यदि–अप्रार्थीगण को आराजी के बेचान, रहन, निर्माण अथवा हस्तांतरण की छूट दी जाती है तो प्रार्थीगण के अधिकारों को गंभीर व अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। वहीं, यदि अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई वास्तविक नुकसान नहीं होगा केवल यथास्थिति (Status Quo) बनी रहेगी

अतः Balance of Convenience स्पष्ट रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

5. अपूरणीय क्षति की प्रबल संभावना

अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं यह कहा गया है कि "अब हम उक्त आराजी को काश्त करेंगे अथवा उसका बेचान कर देंगे" यदि आराजी का तृतीय पक्ष में हस्तांतरण हो गया या निर्माण हो गया, तो– प्रार्थीगण का खातेदारी अधिकार निष्फल हो जाएगा। बाद में डिक्री मिलने पर भी स्थिति पूर्ववत नहीं लाई जा सकेगी। यह स्थिति अपूरणीय क्षति की श्रेणी में आती है, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

6. अप्रार्थीगण की आपत्तियाँ विधि–विरुद्ध

अप्रार्थीगण का यह तर्क कि सम्पूर्ण दादालायी आराजी को शामिल नहीं किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के स्तर पर अप्रासंगिक है। वर्तमान प्रार्थना–पत्र केवल विवादित एवं खतरे में पड़ी आराजी तक सीमित है। कानून यह बाध्यता नहीं डालता कि हर अस्थायी निषेधाज्ञा में सम्पूर्ण सम्पत्ति को शामिल किया जाए।

7. पूर्व राजीनामा अप्रार्थीगण द्वारा तोड़ा गया

पूर्व में राजीनामा होने के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 16.06.2024 को उससे मुकर जाना उनकी दुर्भावना एवं नीयत को स्पष्ट करता है। ऐसे पक्ष को कानून का संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

निष्कर्ष

प्रार्थीगण ने– प्रथमदृष्टया अधिकार, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति
तीनों आवश्यक तत्वों को पूर्णतः सिद्ध कर दिया है।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि–

अप्रार्थीगण को आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के अंतर्गत विवादित आराजी के बेचान, रहन, निर्माण, हस्तांतरण एवं कब्जे में बाधा उत्पन्न करने से अंतिम निर्णय तक अस्थायी रूप से प्रतिबंधित (Restrained) किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश प्रदान किये जावें।

अप्रार्थीगण की ओर से विस्तृत बहस

अप्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष सविनय निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पूर्णतः कानून–विरुद्ध, तथ्य–विरुद्ध एवं दुराशयपूर्ण है, जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

1. प्रथमदृष्टया मामला सर्वथा अनुपस्थित

प्रार्थीगण स्वयं अपने कथनों में स्वीकार करते हैं कि विवादित आराजी सामलाती एवं अविभाजित है आज तक कोई विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों आपसी समझ से अलग–अलग खसरा नम्बर जोतते रहे हैं। जब सम्पत्ति सामलाती एवं अविभाजित है, तब किसी एक पक्ष को विशेष खसरा नम्बरों पर विशेष निषेधाज्ञा देने का कोई प्रथमदृष्टया आधार नहीं बनता। अतः प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया अधिकार अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु सिद्ध नहीं होता।

2. प्रार्थना–पत्र आंशिक, अपूर्ण एवं चयनात्मक

प्रार्थीगण ने अत्यन्त चतुराई से केवल उन्हीं खसरा नम्बरों को शामिल किया है जिन पर वर्तमान में अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जबकि उसी दादालायी आराजी के कई खसरा नम्बर केवल प्रार्थीगण के नाम दर्ज हैं जिनमें अप्रार्थीगण का भी बराबर 1/2 हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण ने उन खसरा नम्बरों को जानबूझकर छिपाया है। इस प्रकार का आंशिक एवं भ्रामक प्रार्थना–पत्र अस्थायी राहत के योग्य नहीं है।

3. प्रार्थीगण ने तथ्य छिपाकर न्यायालय को गुमराह किया

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में स्पष्ट विवरण दिया है कि कई खसरा नम्बर प्रार्थीगण के नाम अकेले दर्ज हो रखे हैं। जबकि वे भी सामलाती एवं दादालायी हैं तथ्यों के दमन (Suppression of Facts) की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा यह स्थापित सिद्धांत है कि– जो पक्ष न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आता, वह किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत का अधिकारी नहीं होता।

4. सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में

यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाती है तो अप्रार्थीगण को अपनी ही सामलाती आराजी से वंचित किया जाएगा। उनकी खेती–बाड़ी व जीविकोपार्जन प्रभावित होगा। इसके विपरीत, यदि निषेधाज्ञा नहीं दी जाती– यथास्थिति बनी रहेगी। दोनों पक्ष पूर्ववत आपसी समझ से काश्त करते रहेंगे। अतः Balance of Convenience स्पष्ट रूप से अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

5. अपूरणीय क्षति का कोई प्रश्न नहीं

प्रार्थीगण यह सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे हैं कि उन्हें कोई ऐसी क्षति होगी। जिसकी पूर्ति भविष्य में संभव न हो। यदि अंततः प्रार्थीगण के पक्ष में

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

निर्णय होता है तो राजस्व रिकॉर्ड में सुधार, हिस्से का समायोजन, पूरी तरह से संभव है।
अतः अपूरणीय क्षति का तत्त्व अनुपस्थित है।

6. राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना कानूनन वैध
वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थीगण का नाम विधिवत दर्ज है। केवल यह कह देना कि नाम "गलत" दर्ज है किसी आदेश या प्रमाण के अभाव में अस्थायी निषेधाज्ञा का आधार नहीं बन सकता। राजस्व रिकॉर्ड की वैधता को अंतिम रूप से मूल वाद के निर्णय में ही तय किया जा सकता है।

7. कथित गोद का दावा संदिग्ध
प्रार्थी सं. 1 द्वारा कथित गोद का कोई विधिवत दस्तावेज, कोई सक्षम आदेश, कोई पंजीकृत अभिलेख, प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः गोद का दावा विवादित तथ्य है, जिसे साक्ष्य के बिना अंतरिम स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

8. पूर्व राजीनामा प्रार्थीगण के विरुद्ध
पूर्व में दोनों पक्षों द्वारा अपने–अपने प्रार्थना–पत्र नोटप्रेस में खारिज कराए गए थे। अब पुनः उसी विषय पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना, प्रार्थीगण की अस्थिरता वाद को अनावश्यक रूप से लम्बा करने की मंशा को दर्शाता है।

निष्कर्ष
प्रार्थीगण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति तीनों आवश्यक तत्वों को सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। वहीं अप्रार्थीगण सह–खातेदार एवं काबिज काश्तकार हैं, जिन्हें कानूनन संरक्षण प्राप्त है।

प्रार्थना –
अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि– प्रार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के अंतर्गत प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज किया जावे।
विवेचन
प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत खातेदारी घोषणा एवं साथ ही आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से उक्त

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (सैरथल–बिजारा)

प्रार्थना–पत्र का विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्षों के learned अधिवक्ताओं को सुना गया तथा पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया।

कानूनी स्थिति

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु प्रार्थी को निम्न तीन आवश्यक तत्वों को सिद्ध करना आवश्यक होता है–

प्रथमदृष्टया मामला (Prima Facie Case)

सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience)

अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss)

यदि इन तीनों में से कोई भी तत्व सिद्ध नहीं होता है तो अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती।

प्रथमदृष्टया मामले पर विचार

प्रार्थीगण का मुख्य कथन यह है कि विवादित आराजी खानदानी एवं सामलाती है तथा उनका 1/2 हिस्सा बनता है। वहीं अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि सम्पूर्ण दादालायी आराजी सामलाती है एवं प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों का 1/2–1/2 हिस्सा बनता है, परंतु यह भी स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण ने सम्पूर्ण सामलाती आराजी को शामिल न करते हुए चुनिंदा खसरा नंबरों के संबंध में ही प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय की दृष्टि में, जब स्वयं प्रार्थीगण यह स्वीकार करते हैं कि सम्पूर्ण आराजी सामलाती एवं अविभाजित है तथा बंटवारा नहीं हुआ है, तब केवल कुछ खसरा नंबरों को चुनकर निषेधाज्ञा की मांग करना प्रथमदृष्टया चयनात्मक एवं अपूर्ण दावा प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण प्रथमदृष्टया ऐसा कोई ठोस अधिकार सिद्ध नहीं कर पाए, जिसके आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा दी जा सके।

सुविधा के संतुलन पर विचार

दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया है कि आराजी सामलाती है तथा दोनों पक्ष वर्षों से आपसी समझौते से खेती करते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में, यदि केवल प्रार्थीगण के पक्ष में निषेधाज्ञा दी जाती है, तो यह अप्रार्थीगण के सह–खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करेगी।

सुविधा का संतुलन किसी एक पक्ष के पक्ष में झुकता हुआ प्रतीत नहीं होता, बल्कि यथास्थिति बनाए रखना ही न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

सहायक कलक्टर (फा0ट्र0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अपूरणीय क्षति पर विचार

प्रार्थीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि यदि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की गई तो उन्हें ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में नहीं हो सके। राजस्व रिकॉर्ड में कथित त्रुटि का निराकरण अंतिम निर्णय के अधीन है, तथा ऐसी क्षति प्रतिकर योग्य है। अतः अपूरणीय क्षति का तत्व भी सिद्ध नहीं होता।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में इसी विषय को लेकर वाद प्रस्तुत होकर राजीनामा हुआ था तथा तत्पश्चात पुनः विवाद उत्पन्न होना बताया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवाद विस्तृत साक्ष्य एवं अंतिम निर्णय के योग्य है, न कि अंतरिम आदेश के आधार पर तय किया जा सकता है।

आदेश

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, तर्कों एवं विधि के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के अंतर्गत प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

सहायक कलक्टर (फा0न्टै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)